रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2014/आश्विन 24, 1936

No. 248] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2014/ASVINA 24, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

विषय : यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत—संबंधी

संख्या 14/13/2014-डीजीएडी.—मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एसआई ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है और प्राधिकारी से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यत: प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एसआई ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन; घरेलू उद्योग को हुई क्षति; और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके

और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एसआई ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं और भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कार्यकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अत: प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एसआई ग्रुप (इंडिया) लिमिटेड (जिन्हें आगे घरेलू उद्योग या याचिकाकर्ता कहा गया है) का नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और याचिका संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों पूरा करती है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया गणराज्य के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "फेनोल" है।

5. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसका रसायिनक सूत्र C6H5OH है। इस उत्पाद को दो रूपों - बल्क और पैक्ड में बेचा जाता है। ब्लक बिक्रियां सामान्यत: खुले रूप में होती हैं जबकि पैक्ड खेपे काफी छोटे कंटेनर भारों में हो सकती हैं और सामान्यत: ड्रम में पैक की जाती हैं। फेनोल का उपयोग फेनोल, फार्मलडिहाईड रेसिन, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, अल्काइल फेनोल, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेनाईल ऑक्साईड में किया जाता है। फेनोल को सामान्यत: भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 2907.1110 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

6. तथापि, सीमा शुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ यह विचार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद से अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे वास्तविक और तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु मानते हैं।

संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, सिंगापुर और कोरिया गणराज्य हैं।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ताओं ने यह बताया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत संबंधित सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे परंतु उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। अत: याचिकाकर्ताओं ने बेंजिन (प्रमुख कच्ची सामग्री) की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, संबद्ध देशों में प्रचलित लागत के अनुसार विद्युत लागत, घरेलू उत्पादकों के अनुसार लागत के अन्य तत्वों के आधार पर परिकलित मूल्य नीति को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य की गणना की है।

निर्यात कीमत

10. याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातित मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों का प्रयोग करके निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और बैंक प्रभारों को ध्यान में रखते हुए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

11. याचिकाकर्ताओं ने इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य प्रथमदृष्ट्या निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जांच की शुरूआत उचित सिद्ध होती है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. याचिकाकर्ताओं ने पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आदि के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ता को हो रही क्षति के ऐसे पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि

13. जांच की अवधि (पीओआई) 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच की प्रस्तावित अवधि के आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं आर घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जाएं:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों रूप में प्रस्तुत की जाए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ।

19. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों अंशों की साफ्ट कॉपियां जिनके साथ प्रत्येक की हार्ड कॉपी पांच (5) सैट को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

20. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

24. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification

New Delhi, the 15th October, 2014

Subject: Initiation of anti-dumping duty investigation in respect of the imports of Phenol originating in or exported from European Union, Singapore and Korea RP –reg.

No.14/13/2014-DGAD: Whereas M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. and SI Group (India) Ltd. have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,

as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Phenol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union, Singapore and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries) and requested the Authority for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. And whereas, the Authority finds that the petition filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. and SI Group (India) Ltd. contains sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; and the causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation, and the Authority hereby initiates anti-dumping investigation into the alleged dumping of the subject goods from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of ant-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. and SI Group-India-Ltd. The petitioners have claimed that they are the only producers of the subject goods in India and there is no other producer of the product under consideration in India. As per the evidence available on record, the Authority notes that the production of the petitioners accounts for the major proportion of the total domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. and SI Group-India-Ltd. (hereinafter referred to as the domestic industry or the petitioners) constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Phenol" originating in or exported from European Union, Singapore and Korea RP.

5. Phenol is a basic organic chemical with a chemical formula C6H5OH. The product is marketed in two forms–bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. Phenol is normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under Customs Tariff heading No. 2907.1110 as per Indian Trade Classification.

6. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

7. The petitioners have claimed that the subject goods, which are being allegedly dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority, for the purpose of the present investigation, has considered that the product produced by the domestic industry is comparable to the product imported from the subject countries in terms of essential product characteristics such as physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. The Authority treats the subject goods produced by the domestic industry as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Countries

8. The countries involved in the present investigation are European Union, Singapore and Korea RP.

Normal Value

9. The petitioners have submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries but the same could not be obtained. The petitioners have, therefore, constructed normal value in the subject countries considering constructed value approach, based on international price of Benzene, (major raw material), power cost as per cost prevailing in the subject countries, other elements of cost as per the domestic producers.

Export Price

10. The petitioners have determined export price by using secondary source data to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges.

Dumping Margin

11. The petitioners have provided sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped into India to justify initiation of anti dumping investigation.

Injury and Causal Link

12. The petitioners have furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price suppression and decline in profitability, return on capital employed etc. There is sufficient prima facie evidence of the injury being suffered by the petitioner caused by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti dumping investigation.

Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) is the period from 01.04.2013 to 31.03.2014. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the proposed period of investigation will also be considered.

Submission of information

14. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the communication. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

18. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

19. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

20. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

24. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.